RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20 / 2025 GCMS NO 2025/122

अपीलांट–

1. श्री जोईताराम पुत्र बादराराम जाति भील, निवासी भैरूगढ़, पउ, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. श्री तहसीलदार सिवाना।
2. श्री हल्का पटवारी पउ, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध समर्पण आदेश क्रमांक / राजस्व / 2023 / 1425 दिनांक 29.09.2023 को तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र सिंह सोढा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 25.11.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिवाना द्वारा मौजा मौजा भैरूगढ, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 126 रकबा 10.1657 हैक्टेयर में से समर्पण स्वीकृति आदेश क्रमांक / राजस्व / 2023 / 1425–1428 दिनांक 29.09.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2025 को पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मौजा भैरूगढ, तहसील सिवाना के मूल खसरा नंबर 126 रकबा 10.1657 हैक्टेयर भूमि तथा नये खसरा संख्या 683 / 624, 690 / 623 के खातेदारान अपीलांट ने दिनांक 18.08.2023 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार खसरा नंबर 683 / 624 रकबा 0.2607 हैक्टयर की सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा नंबर 690 / 623 रकबा 0.0712 हैक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान संबंधित पटवारी पउ द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पउ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भैरूगढ़, पटवार हल्का पउ, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 683 / 624 रकबा 0.2607 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 690 / 623 रकबा 0.0712 हैक्टेयर भूमि में स्थगन आदेश

जिला कलक्टर
बालोतरा

व न्यायालय वाद–विवाद नहीं है तथा मौके पर आने–जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2023 को पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि मूल ग्राम पंऊ के खसरा सं. 622/126, 623/126 एवं 624/126 का सभी सह खातेदार काश्तकारों ने आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तत्कालीन तहसीलदार सिवाना को उनका बंटवाड़ा पेश किया है। तत्कालिन तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.07.2023 को सहमति विभाजन स्वीकृत कर रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश हल्का पटवारी को जारी किये। हल्का पटवारी द्वारा ग्राम पंऊ का नामान्तरकरण संख्या 1701 दिनांक 08.08.2023 को दर्ज किया, जिसको तत्कालीन तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 08.08.2023 को स्वीकृत किया गया। विभाजन के दौरान ही सभी सह खातेदार काश्तकारों ने आपसी सहमति से अलग–अलग खसरे बनाकर कर जोईताराम के खाते में रास्ते की भूमि को अधिक रखा है, जिसका क्षेत्रफल 0.2607 हैक्टेयर व 0.0712 हैक्ट. रखा गया है। शेष भूमि सभी खातेदारों का हिस्सा 1/5 अनुसार 1.9441 हेक्टर भूमि बराबर 5 खातों में रखी है एवं पूर्व से ही खसरा सं. 622/126 रकबा 0.1133 किस्म गै०मु०रास्ता के खसरे को सयुक्त खातेदारी में खाता संख्या 64 में दर्ज किया गया। विभाजन का नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद नए खसरा संख्या 683/624 रकबा 0.2607 हैक्टर खसरा संख्या 690/623 रकबा 0.0712 हेक्टर बने थे, जो समर्पण के लिए खातेदार जोइताराम ने स्वयं उपस्थित हो कर तहसील कार्यालय सिवाना के समक्ष दिनांक 18.08.2023 को समर्पण पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका समर्पण आदेश दिनांक 29.09.2023 को तत्कालीन तहसीलदार सिवाना द्वारा आदेश जारी किये गए है। उक्त समर्पण से किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हुई है। समर्पण कर्ता द्वारा विभाजन के दौरान अलग अलग दर्शाए खसरे का सम्पूर्ण रकबा समर्पित किया है। इसलिए समर्पण आदेश अनुसार ही हल्का पटवारी द्वारा समर्पण नामा का नामान्तरकरण संख्या 1713 दिनांक 05.10.2023 की दर्ज किया गया। जिसकी स्वीकृति तात्कालिन नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.10.2023 को दी गई। जिससे उक्त खसरे राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज हुए है। समर्पण आदेश में किसी प्रकार की लापरबाही नहीं की गई है क्योंकि समर्पण आदेश में सम्पूर्ण खसरा संख्या को समर्पित किया। अतः उक्त खसरा का समर्पण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 55 के तहत आदेश जारी किया गया, जिसमे किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से खारीज फरमावे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस तथा लिखित बहस में यह कथन किया कि कार्यालय तहसीलदार सिवाना द्वारा मौजा भैरूगढ के मूल खसरा संख्या 126 रकबा 10.1657 हैक्टर खातेदारी भूमि के बंटवाडा बाबत कार्यालय तहसीलदार सिवाना द्वारा दिनांक 28.07.2023 को एक विभाजन प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तैयार कर आदेश करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शे में तरमीम की गई। उक्त बंटवाडा व तरमीम में तहसीलदार सिवाना एवं हल्का पटवारी पंउ द्वारा अपीलांट को मिथ्या जानकारी देते हुए विभाजन किया, जिसमें अपीलांट के हिस्से में अधिक रकबा 2.2760 हैक्टर दर्ज किया गया। अधिक हिस्से की भूमि का अपीलांट से समर्पण करवा दी गई। नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शायेनुसार मार्क ए से बी व बी से सी की रास्तानुमा पट्टी अपीलांट खाते में खातेदारी दर्शाते हुए नक्शा तरमीम की तथा उक्त रास्तानुमा पट्टी के बाद विभाजन खसरा संख्या 683/624 व 690/623 कायम किये गये तथा दिनांक 29.09.2023 को उक्त रास्तानुमा पट्टी का विभाजन की आड में समर्पण करने के इरादे से अधिक भूमि का समर्पण आदेश जारी किया। तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलाधीन समर्पण आदेश पारित करते वक्त गौर लापरवाही बरतते हुए अपीलांट की इच्छा के विपरित भूमि समर्पित करवा दी गई, जबकि अपीलांट ने नक्शा परिशिष्ट "अ" मे दर्शाये मार्क बी से सी की भूमि के समर्पण की अनुमति जाहीर की थी, मगर राजस्व कर्मियो व तहसीलदार सिवाना द्वारा गौर लापरवाही बरतते हुए नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाये मार्क ए से बी की अतिरिक्त भूमि समर्पण आदेश में सामिल करते हुए समर्पण आदेश जारी किया। चूंकि अपीलांट अनपढ व असाक्षर होने से उक्त आदेश को सही से समझ नही पाया। विभाजन से पूर्व मूल खसरा में संयुक्त खातेदारी के दौरान अपीलांट अपने हिस्सेनुसार जमाबंदी अनुसार दर्ज रकबे का खातेदार था, मगर वक्त तरमीम राजस्व कर्मियो की भूल से खसरा संख्या 683/624 व 690/623 की भूमि रास्तानुमा पट्टी तरमीम करते हुए अपीलांट के नाम दर्ज की तथा उक्त भूमि का विभाजन की आड में समर्पण करवा दिया गया। ऐसे में अपीलांट की भूमि का रकबा समर्पण की वजह से कम दर्ज हुआ। तहसीलदार सिवाना द्वारा अपीलांट को निजी नुकसान कारित करने की नियत से उक्त समर्पण भूमि केवल मात्र अपीलांट के दर्ज की तथा उक्त सम्पुर्ण भूमि का विभाजन की आड में समर्पण करवा दिया। उक्त समर्पण भूमि में से नक्शा परिशिष्ट "अ" मे दर्शाये मार्क ए से बी की भूमि पर आज रोज भी कब्जा अपीलांट का है। समर्पित भूमि पर से आवागमन कभी नही हुआ तथा न ही उक्त भूमि से किसी खसरे में रास्ता जाता है। नक्शा परिशिष्ट मार्क ए से बी की भूमि के लगते खसरो में रास्ता पहले से ही उपलब्ध है तथा उन खसरो में आवागमन हेतु समर्पण पूर्व से कटान व चलायमान रास्ता मौजुद है। ऐसे में उक्त भूमि पर से रास्ता कायम करना किसी प्रकार से अनिवार्य नही है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से एवं विधि अनुकुल नही होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सिवाना के आदेश कमांक राजस्व/2023/1425–1428 दिनांक 29.09.2023, में पारित आदेश को अपास्त निरस्त फरमावे।

हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध

जिला कलक्टर
बालोतरा

दस्तावेजों का अवलोकन किया कि मौजा मौजा भैरूगढ, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 126 रकबा 10.1657 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान अपीलांट ने दिनांक 18.08.2023 को तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में प्रस्तावित बरंग लाल अनुसार खसरा नंबर 683/624 रकबा 0.2607 हैक्टयर की सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा नंबर 690/623 रकबा 0.0712 हैक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का लगान खाता में से कम करने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान संबंधित पटवारी पउ द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी पउ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भैरूगढ़, पटवार हल्का पउ, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 683/624 रकबा 0.2607 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 690/623 रकबा 0.0712 हैक्टेयर भूमि में स्थगन आदेश व न्यायालय वाद–विवाद नहीं है तथा मौके पर आने–जाने हेतु रास्ता के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस पर तहसीलदार सिवाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2023 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना के समक्ष अपीलांट द्वारा अपीलाधीन समर्पण पत्र पर सहमति से स्वयं अंगुठा/हस्ताक्षर कर स्वीकृति आवेदन किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट को उक्त समर्पण भूमि की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट का यह कहना कि अपीलाधीन समर्पणनामा के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट स्वयं साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसकी पहचान एवं ताईद स्वतंत्र पहचानकर्ता हल्का पटवारी पउ द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा व्यक्तिशः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी भूमि में से नंबर 683/624 रकबा 0.2607 हैक्टयर की सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा नंबर 690/623 रकबा 0.0712 हैक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है। अपीलांट द्वारा एक बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कथन किया गया है उससे भिन्न कोई कथन इस न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विबंधित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जि[illegible]लोतरा
बालोतरा